

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक D/5094 /

जबलपुर, दिनांक 16/08/2019

1. श्रीमति आरती भटनागर, जूनियर जूडिशियल असिस्टेंट,
2. श्री चेतन पाण्डे, जूनियर जूडिशियल असिस्टेंट,

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इन्दौर को "महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त संस्थान अनुरजन मास्टर माइंड कम्प्यूटर, इंदौर से एम.ओ.एम (मार्डन ऑफिस मैनेजमेंट) की परीक्षा सत्र-2018-19" में दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

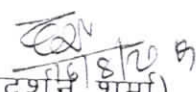
1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न पाए गए तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।


14/8/19
(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल
Pan

पृष्ठांकन क्रमांक D/5095 /
प्रतिलिपि :-

जबलपुर, दिनांक 16/08/2019

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर की ओर उनके स्थापना के ज्ञापन क्रमांक प्रशा./167-ए (भाग)/1322 इंदौर, दिनांक 09.07.2019 के सदर्थ में,
 2. रजिस्ट्रार(प्रशा.)/कम-पी.पी.एस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 3. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
 4. ज्वाइंट रजिस्ट्रार(प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 5. डिप्टी रजिस्ट्रार.....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 6. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर/इंदौर,
 7. अनुभाग अधिकारी स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 8. सहायक स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 9. श्रीमति आरती भटनागर, जूनियर जूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर,
 10. श्री चेतन पाण्डे, जूनियर जूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(प्रियदर्शनी शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)
Pan

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक D/5096 /

जबलपुर, दिनांक 16/08/2019

श्री कुमार गौरव शर्मा भृत्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को "इंदिरा गांधी भोज मुक्त विश्वविद्यालय से बी.ए प्रथम वर्ष सत्र-2019-20 की परीक्षा में प्रायवेट छात्र के रूप में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो तथा कार्यालयीन कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न पाए गए तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।


(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल
Per

पृष्ठांकन क्रमांक D/5097 /

जबलपुर, दिनांक 16/08/2019

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशा/कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
3. ज्वाईंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. डिप्टी रजिस्ट्रार.....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. अनुभाग अधिकारी स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. सहायक स्थापना/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. श्री कुमार गौरव शर्मा भृत्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)
Per

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक D/5098 /

जबलपुर, दिनांक 16/08/2019

श्रीमति स्नेहलता वर्मन, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को "महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, जबलपुर से बी.ए. द्वितीय वर्ष सत्र-2019-20 की परीक्षा" में स्वाध्यायी छात्र के रूप में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो तथा कार्यालयीन कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न जाएं तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।


(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक D/5099 /

जबलपुर, दिनांक 16/08/2019

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशा/कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. ज्वाईंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. डिप्टी रजिस्ट्रार.....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. अनुभाग अधिकारी स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. सहायक स्थापना/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. श्रीमति स्नेहलता वर्मन, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)
Per